बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
सचिका सं0 – 03/भू0अ0नि0(05)–अपील –11/2023...1205...दिनांक 05/06/2023

आदेश

प्रस्तुत अपील "बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम–8(4)" में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत अपीलार्थी श्री बंटी अभिषेक (EMP ID –AEN02784) पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन द्वारा निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा पारित आदेश संख्या 4714 दिनांक 23.12.2022 के विरूद्ध दायर किया गया है।

अपीलार्थी श्री बंटी अभिषेक को अपील की निर्धारित तिथि की सूचना ईमेल द्वारा दी गई है। निर्धारित तिथि 21.04.2023 को वाद की कार्रवाई प्रारंभ की गई। उभयपक्ष उपस्थित। निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा अपना मंतव्य दाखिल किया गया। प्रस्तुत अपील में उभयपक्षों को सुनकर अपील आदेश पर रखा गया है।

अपीलार्थी का कथन है कि निदेशालय के पत्रांक 4714 दिनांक 23.12.2022 द्वारा मेरा संविदा नियोजन समाप्त किया गया है। मेरे उपर लगाए गए आरोप पूर्णतः निराधार एवं तथ्यहीन है। जिस वायरल वीडियों के आधार पर मेरी संविदा अनुबंध समाप्त किया गया है उसकी वैधानिक जाँच नहीं कराई गई है। उक्त वायरल वीडियों में मोटी रकम की उगाही करने की बात कही गई है, उसमें ना ही मेरे द्वारा मोटी रकम की मांग की गई है और न ही उसमें मेरा फोटो है। मेरे उपर लगाये गये आरोप की जाँच अंचलाधिकारी भरगामा द्वारा किया गया। अंचलाधिकारी के द्वारा जाँच प्रतिवेदन पत्रांक 01/101 दिनांक 09.11.2022 द्वारा उल्लेख किया गया है कि कानूनगों मो0 शमशेर अली एवं वीडियो बनाने वाले व्यक्ति मो0 जाबिर के बीच गहरा संबंध है। मो0 शमशेर अली, कानूनगों से मेरा संबंध काफी खराब है क्योंकि उनके द्वारा अवैध कार्यो के लिए बराबर दबाब बनाया जाता था, जिसका विरोध मेरे द्वारा किया जाता था। इसी बात को लेकर मेरे खिलाफ मो0 जाबिर द्वारा अन्य लोगों के साथ मिलकर उक्त वीडियों बनाया गया जिसमें मेरा नाम लेकर उगाही करने का जिक्र किया गया है। अंचलाधिकारी भरगामा एवं थाना के प्रतिवेदन से मेरे उपर लगाये गये सारे आरोप गलत एवं तथ्यहीन पाए गए। राजस्व अधिकारी–सह–कानूनगो द्वारा दिए गए मंतव्य पूरी तरह से तथ्य से परे है। जाँच पदाधिकारी द्वारा कोई भी ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसमें यह स्पष्ट हो कि मेरे द्वारा किसी भी तरह की कोई उगाही की गई। प्रतिवेदन में सिर्फ इस बात का उल्लेख किया गया है कि रैयत द्वारा पैसे दिए जाने एवं रकम पूछे जाने पर कोई जबाव नहीं दिया गया। अत्याधिक कार्य होने के कारण मेरे द्वारा परिवार के सदस्यों के सहयोग से यादास्त पंजी संधारण किया जा रहा था। इसी कारण से यादास्त पंजी के लिखावट में अंतर है। उपरोक्त परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए मेरे उपर लगाये गए सभी आरोप को निरस्त किया जाए तथा मेरे द्वारा अगर किसी भी तरह की कोई गलती भूलवश की गई है तो उसे क्षमाकर मुझे योगदान करने की अनुमति प्रदान की जाय।

भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशायल, बिहार, पटना ने अपने मंतव्य में स्पष्ट किया है कि श्री बंटी अभिषेक के विरूद्ध रैयतों से भूमि सर्वे के कार्यो के निपटारा हेतु अवैध रूप से मोटी रकम की मांग करने का वीडियों वायरल हुआ। जिसके आलोक में आरोपीत से निदेशालय पत्रांक 3095 दिनांक 08.11.2022 द्वारा स्पष्टीकरण की माग की गई। आरोपीत द्वारा स्पष्टीकरण का जबाब निर्धारित अवधि में समर्पित किया गया। भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय पत्रांक 4188 दिनांक 22.11.2022 द्वारा आरोपित पर लगाये गये आरोप से संबंधित वायरल वीडियो की जाँच राजस्व पदाधिकारी, बन्दोबस्त कार्यालय, अररिया को इस निदेश के साथ प्रेषित किया गया कि वायरल वीडियों में जो रैयत दिख रहे है उनसे संपर्क कर मामले की जाँच करते हुए अपना प्रतिवेदन समर्पित करें। जाँच पदाधिकारी ने निम्न प्रकार प्रतिवेदित किया है कि ''रैयत ने बताया कि अमीन के इस मौजा से जाने के बाद खुलकर बोल पायेगे''। जाँच प्रतिवेदन में यह भी अंकित किया गया है कि याद्दश्त पंजी की लिखावट में भी बदलाव पाया गया हैं।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आरोपित से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं जाँच पदाधिकारी से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गई। जाँच पदाधिकारी ने स्थानीय निरीक्षण के उपरान्त प्रतिवेदित किया है कि वायरल वीडियों सही है, तथा वीडियों में दिखे रैयत मो0 ईफ्तिरवार का स्पष्ट कहना कि ''आरोपित अमीन के इस मौजा से जाने के बाद ही खुलकर बोल पायेगें।''

उक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि श्री बंटी अभिषेक पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन के विरूद्ध लगाये गये आरोप सत्य हैं।

अतः निदेशक भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना के आदेश संख्या 4714 दिनांक 23.12.2022 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। आवेदक श्री बंटी अभिषेक (EMP Id- AEN02784) पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन के अपील को अस्वीकृत किया जाता है।

विश्वासभाजन

ह0 / –
अपर मुख्य सचिव
–सह–
अपीलीय प्राधिकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार, पटना

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0(05)–अपील –11 / 2023...4205...पटना, दिनांक :05/06/2023

प्रतिलिपि : श्री बंटी अभिषेक (EMP ID –AEN02784) पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन, अररिया, e-Mail Id- priyadarshi7911@gmail.com को सूचनार्थ प्रेषित।

5/6/23

(अनिल कुमार सिंह)
सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप
बिहार, पटना

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0(05)–अपील –11 / 2023...4205...पटना, दिनांक :05/06/2023

प्रतिलिपि : बन्दोबस्त पदाधिकारी / सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी(मु0) अररिया, को सूचनार्थ प्रेषित।

5/6/23

सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0(05)–अपील –11 / 2023...4205...पटना, दिनांक :05/06/2023

प्रतिलिपि : संबंधित स्थापना, सहायक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5/6/23

सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0(05)–अपील –11 / 2023...4205...पटना, दिनांक :05/06/2023

प्रतिलिपि : निदेशक कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5/6/23

सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0(05)–अपील –11 / 2023...4205...पटना, दिनांक :05/06/2023

प्रतिलिपि : श्रीमति सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

5/6/23

सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप